दिनांक 13.02.2023

वादी की ओर से एक आवेदन पत्र शीघ्र सुनवाई का मय आदेश 23 नियम 1 सीपीसी का प्रस्तुत कर प्रकरण शीघ्र सुनवाई में लिये जाने का निवेदन किया, जो कि वाद विचार स्वीकार।

वादीगण द्वारा श्री सुनील कुशवाह अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्र. 1 अनिर्वाहित।

प्रतिवादी क. 2 द्वारा श्री सुनील पाठक अधिवक्ता।

इसी प्रक्रम पर वादीगण द्वारा आवेदन अंतर्गत आदेश 23 नियम 1 सीपीसी प्रस्तुत किया। जिसकी प्रति प्रतिवादी अधिवक्ता को प्रदान कराई जावे।

आवेदन पर उभय पक्ष को सुना गया।

इस आदेश द्वारा उक्त आवेदन का निराकरण किया जा रहा है।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी द्वारा प्रकरण घोषणा एवं निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया हुआ है जो कि आगामी दिनांक को नियत है। प्रकरण अभी सूचना के लिये नियत है एवं प्रतिवादी प्रकरण में अभी उपस्थित नहीं हुये हैं चूंकि प्रकरण को वादी आगे नहीं चलाना चाहता है इस कारण आज ही प्रकरण को समाप्त किये जाने का आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

प्रकरण वापिसी हेतु विशिष्ठ तौर पर आदेश 23 नियम 1 सीपीसी के तहत प्रावधान किया गया है। उक्त प्रावधान के तहत स्वतंत्रता रहित वाद वापस करने हेतु वाद का वादी स्वतंत्र रहता है। उपस्थित वादी शिवनारायण की पहचान अधिवक्ता श्री सुनील कुशवाह ने की है, जिसने समस्त वादीगण की ओर से यह आवेदन प्रस्तुत किया है। वादीगण ने आवेदन में नवीन वाद पेश करने की कोई स्वतंत्रता नहीं चाही है।

अतः उक्त आवेदन पत्र **स्वीकार** किया जाता है एवं वादीगण का दावा आदेश 23 नियम 1 सीपीसी के तहत प्रत्याहरित करने की अनुमति दी जाती है।

व्यय तालिका बनाई जावे।

प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज कर विधिवत् अभिलेखागार भेजा जावे।

(मानसी बालूजा)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश
कनिष्ठ खंड, ग्वालियर म.प्र.

MANSI BALUJA

Digitally signed by MANSI BALUJA
Date: 2023.02.13 17:22:04 +0530